

वन भूमि की मांग हेतु संक्षिप्त विवरण

वेकोलि पाथाखेडा क्षेत्र की सतपुडा-2 खदान (कुल वन भूमि क्षेत्र 358.334 हे०) वर्ष 1973 से भूमिगत खनन कार्य प्रारंभ किया गया। खदान का भूमिगत खनन में उपयोग की गई वनभूमि संस्थान द्वारा कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत खनन अधिकार प्राप्त है।

संस्थान द्वारा उस समय आवश्यक वन भूमि का वनसं०अधि० 1980 के तहत शासन के पत्र कं०एफ-5/22/91/10/3 दि 06.02.97 के अन्तर्गत 1349.248 हे० में से 107.260 हे० एवं पत्र कं०एफ-5/49/2000/10/3 दि०3.04.2001 के अन्तर्गत 42.0 हे० में से 20.00 हे० इस खदान के लिए खनन अधिकार की स्वीकृतियां प्राप्त की गई। इस प्रकार इस खदान के लिए कुल 127.260 हे० (107.260 एवं 20.000) वन सं०अधि० 1980 के तहत खनन अधिकार की स्वीकृतियां प्राप्त की गई। शेष वनभूमि (32.831 एवं 97.143 हे०) का प्रस्ताव वनसं०अधि०1980 के तहत वनविभाग को प्रेषित किया गया है एवं 101.100 हे० वनभूमि का वर्ष 1980 के पूर्व खनन कार्य कर लिया गया।

आवेदित राजस्व वनभूमि क्षेत्र 97.143 हे० में भूमिगत खनन के कार्य वर्ष 1980 से 12.12.1996 के मध्य संपादित किये गये तत्समय इस मद की भूमि को मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र कं०एफ-16-10/7/2ए/90 भोपाल दि०13.08.91 के तहत वनसं०अधि०1980 के प्रभाव से मुक्त रखा गया था। वर्ष 1996 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित बिंदु पर निर्णय, आवेदक संस्थान को संज्ञान में आने के उपरांत प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। यद्यपि प्रस्ताव वर्ष 1980 से 12.12.96 के मध्य किये गये भूमिगत खनन कार्य के संबंधित है, अतः वन सं०अधि०1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण के अन्तर्गत राजस्व वनभूमि 97.143 हे० खनन कार्य किया जा चुका है। वर्तमान में वनभूमि के अन्तर्गत कोई भी खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, तथा भविष्य में खनन कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्न :- भूमि का विवरण -

भवदीय

क्षेत्रीय योजना अधिकारी
पाथाखेडा क्षेत्र

Area Planning officer
Pathakhera . Area . W.C.I

मूषिका सदन क्षेत्र की जानकारी
 बेल्टन कोलोनियल सिस्टिम, सापुड़ा -2 सदन के क्षेत्र की जानकारी
 शासन 2

क्र	ब्लॉक नं० तथा अधिसूचना नं०	मिनी ग्राम	राजकीय ग्राम	राजस्व / वन विभाग के अधीन रहे जंगल का जंगल/ संरक्षित वन	अवस्थित वन	क्षेत्र	सदन के उपनगर क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पीकेडी नं० 2760 दिनांक 19.08.1983	-	-	-	50.170	50.170	ग्राम का अधिसूचना क्षेत्र सिस्टिम परिवर्तन 1980 के तहत सीमा की स्थिति संलग्न कार्य की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रमाणों होने के पूर्व भी किया जा चुका था।
2	पीकेडी -2 4085 दिनांक 14.10.1971	-	-	-	50.990	50.990	उक्त ग्राम में सन 1956 के पूर्व ही वन का पुनर्वास, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सीमा की स्थिति संलग्न कार्य की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रमाणों होने के पूर्व भी किया जा चुका था।
3	पीकेडी-3 2617 दि० 21.08.1978	-	-	4.144	-	4.144	उक्त ग्राम में सन 1956 के पूर्व ही वन का पुनर्वास, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सीमा की स्थिति संलग्न कार्य की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रमाणों होने के पूर्व भी किया जा चुका था।
4	शोनापुर 2118 दि० 22.04.83	54.389	5.175	112.615	72.370	244.549	उक्त ग्राम में सन 1956 के पूर्व ही वन का पुनर्वास, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सीमा की स्थिति संलग्न कार्य की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रमाणों होने के पूर्व भी किया जा चुका था।
5	वेस्टर्न ब्लॉक 1476 दि० 12.05.87	36.422	3.450	20.000 13.150 33.215	-	73.087	उक्त ग्राम में सन 1956 के पूर्व ही वन का पुनर्वास, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सीमा की स्थिति संलग्न कार्य की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रमाणों होने के पूर्व भी किया जा चुका था।
6	घरौड ब्लॉक 2115 दिनांक 20.04.83	-	-	-	34.890	34.890	उक्त ग्राम में सन 1956 के पूर्व ही वन का पुनर्वास, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सीमा की स्थिति संलग्न कार्य की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रमाणों होने के पूर्व भी किया जा चुका था।
	योग	90.811	8.625	149.974	208.360	457.770	

संलग्न अधिकारी
 सापुड़ा बेल्टन नं० 2

उप-निर्देशक
 सापुड़ा बेल्टन नं० 2

[illegible]

श्री :- कुल भाष्यदिता मंत्र १७.१५३ है०

ಶಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶರಣಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಂ. ೨

एक पृष्ठ मात्रक नं० ७

उपमीयि प्रत्यक्ष
कृत्युता उपमीय

सतपुड़ा खान क्र02 के अन्तर्गत राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ का जंगल), वन भूमि (आरक्षित / संरक्षित) का विवरण

प्रारूप 3

क्र	ब्लॉक नं0 तथा अधिसूचना क्र0	शासकीय भूमि		वन भूमि		आरक्षित वन भूमि		वन भूमि		योग	विवरण
		खसरा क्र0	रकबा	खसरा क्र0	रकबा	खसरा क्र0	रकबा	बड़े झाड़ का जंगल	रकबा		
1	पीकडी मेन 2700 दिनांक 19.06.1983				383		50.11			50.11	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति की स्थिति
2	पीकडी -2 4065 दिनांक 14.10.1971				383		50.99			50.99	भूमि का अधिग्रहण कोल विद्यार्थि एरियाज एरिजिनि एक्ट 1967 के तहत वर्ष 1980 के पूर्व में किया गया एवं भूमिगत खनन कार्य भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी होने के पूर्व ही किया जा चुका था।
3	पीकडी-3 2817 दि. 21.08.1978	119 / 1	3.057							4.144	भूमि का अधिग्रहण कोल विद्यार्थि एरियाज एरिजिनि एक्ट 1967 के तहत वर्ष 1980 के पूर्व में किया गया एवं भूमिगत खनन कार्य भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी होने के पूर्व ही किया जा चुका था।
4	शोभापुर 2116 दि. 22.04.83	119 / 1	69.923	129	383	72.37	184.985	पी 1629	41.851		उक्त भूमि में खनन कार्य वर्ष 1988 के पूर्व ही किया जा चुका था। तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभाव से मुक्त रखा गया था, वर्तमान परिपेक्ष में 4.144 हे0 भूमि को वगैरहत्तर स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है।
5	वेस्टर्न ब्लॉक 1478 दि. 12.05.87	93	0.506					481	13.900	33.215	72.370 हे0 आरक्षित वन भूमि की स्वीकृति शासन के पत्र क्र0एफ-6/ 22/ 91/ 10-3 दिनांक 06.12.1997 से 1349.248 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। एवं 112.615 हे0 राजस्व विभाग के अधीन बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में से 30.976 हे0 का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु (32.831 हे0 के प्रस्ताव में सम्मिलित) प्रेषित किया जा चुका है। शेष 81.639 हे0 भूमि का प्रस्ताव कार्यान्वित स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि के उपरी तल में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980, बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नहीं था, वर्तमान में नीचली तल में खनन कार्य किया जा रहा है अतः इस परिपेक्ष में स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है।
6	वेस्टर्न ब्लॉक 2115 दिनांक 20.04.83	94	0.198					शोभा 481	5.100		20.000 हे0 संरक्षित वन भूमि की स्वीकृति शासन के पत्र क्र0एफ-6/ 49/ 2000/ 10/ 3 दिनांक 03.04.2001 के तहत 42.000 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। शेष 13.215 हे0 में से 1.055 हे0 भूमि 32.831 हे0 भूमि के प्रस्ताव में सम्मिलित है व शेष 11.360 हे0 भूमि का प्रस्ताव कार्यान्वित स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नहीं था।
	कुल योग				381	22.05	34.890				34.890 हे0 आरक्षित वन भूमि की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत शासन के पत्र क्र0एफ-6/ 22/ 91/ 10-3 दिनांक 06.12.1997 से 1349.248 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है।
			87.389			208.360			62.585	358.334	

सर्वेक्षण अधिकारी
सतपुड़ा माइन नं02

अधीक्षक प्रमुख
सतपुड़ा माइन नं02

उपक्षेत्रीय प्रमुख
सतपुड़ा उपक्षेत्र